

VIDHAN SABHA QUESTION
IMMEDIATE/OUT TODAY

GOVT OF NCT OF DELHI
WEIGHT & MEASURE DEPARTMENT
117-118, C-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI

No.F.39/W&M/96-II/VQ/Admn./ 1940-41

dated:- 07/08/18

To,

✓ The Dy. Secretary (Question Branch),
Delhi Legislative Assembly,
Old Sectt. Delhi-110054.

Subject:- Reply of Vidhan Sabha Starred Question No.72, asked by Sh. Jarnail Singh, MLA to be answered on 09/08/2018.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

1. Kumar
07/8/18
(SHALES KUMAR)

ASSISTANT CONTROLLER (LM)

No.F.39/W&M/96-II/VQ/Admn./ 1940-41

dated:- 07/08/2018

Copy forwarded to:-

The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred Question of distribution of the House.

1. Kumar
07/8/18
(SHALES KUMAR)

ASSISTANT CONTROLLER (LM)

विभाग का नाम : माप तोल विभाग
 दिल्ली सरकार :
 विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं० : ता० 72
 सदस्य का नाम : श्री जरनैल सिंह

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमा थियेटर्स में खाद्य वस्तुओं जैसे पापकॉर्न, बैवरेजिस, आइसकीम इत्यादि के प्राइजिंग सिस्टम से अवगत है,	किसी भी वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करना उसके उत्पादक का काम है।
ख	क्या सरकार के पास इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज्म है,	हां, माप तोल विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्री-पैकेज वस्तु उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं बिके।
ग	यदि हां तो इसका विवरण क्या है,	यदि कोई विक्रेता किसी भी वस्तु को उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचता है तो विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका घालान अंडर रूल 18(2) / 32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।
घ	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,	लागू नहीं।
ङ	क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन स्थानों पर ये वस्तुएं उंची दरों पर बेची जा रही हैं,	विभाग के निरीक्षक द्वारा दैनिक निरीक्षण के दौरान या किसी और माध्यम से विभाग को ये पता चलता है कि इन स्थानों पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची जा रही हैं तब विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका घालान अंडर रूल 18 (2) / 32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।
च	क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कोई प्रावधान है जिससे उन्हें इन वस्तुओं को उंची दरों पर न खरीदना पड़े, और	यदि कोई विक्रेता किसी भी वस्तु को उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचता है तो विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका घालान अंडर रूल 18(2) / 32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।
छ	यदि नहीं तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून लाने का कोई प्रस्ताव है	लागू नहीं।

(शैलेश कुमार)

सहायक नियंत्रक, माप तोल विभाग
 Weights & Measures Deptt.
 Govt. of NCT of Delhi